रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1645]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2016/आषाढ़ 10, 1938
No. 1645]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2016/ASHADHA 10, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2016

का.आ.2274(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20), (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र, भाग II खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 25 अगस्त, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का. आ. 2340 (अ), तारीख 24 अगस्त, 2015 द्वारा प्रकाशित उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 3.87 हेक्टेयर (लगभग) या 9.58 एकड़ (लगभग) परिक्षेत्र की भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम के धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और झारखण्ड सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में यथा वर्णित 3.87 हेक्टेयर (लगभग) या 9.58 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि के सभी अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इससे संलग्न, अनुसूची में यथा वर्णित 3.87 हेक्टेयर (लगभग) या 9.58 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार अर्जित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या आर.ई.वी./14/2015, तारीख 21 दिसम्बर, 2015 का निरीक्षण उपायुक्त, जिला हजारीबाग, झारखण्ड के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता– 700001 के कार्यालय में या महाप्रबंधक, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस, रांची (झारखण्ड) या मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, गोंडवाना प्लेस, काके रोड, रांची, झारखण्ड के कार्यालय में किया जा सकता है।

So no.- 2274 (E)
File no.- 43015/9/2015 - PRIW-I
Block :- Gidi 'C' OCP, District Hazaribagh
Sect:- 9
Co:- CCL

अनुसूची

गिद्दी –सी विवृत परियोजना

जिला हजारीबाग, झारखण्ड

(रेखांक संख्या आर.ई.वी. / 14 / 2015, तारीख 21 दिसम्बर, 2015)

सभी अधिकारः

क्र. सं.	ग्राम	थाना	थाना संख्या	जिला	क्षेत्र एकड़ में	क्षेत्र हेक्टेयर में	टिप्पणियां
1.	डाड़ी	माण्डु	43	हजारीबाग	9.58	3.87	भाग
कुल : 9.58 एकड़ (लगभग) या 3.87 हेक्टेयर (लगभग)							

ग्राम डाड़ी में अर्जित की गई प्लॉट की संख्याकः 815, 816, 817, 819, 886, 887, 885, 844, 845, 846, 847, 818, 850 और 814(भाग).

सीमा वर्णनः

क–ख–ग : रेखा, बिन्दु 'क' से आरंभ होती है और ग्राम डाड़ी के प्लॉट संख्याक 814, 816, 817, 819, 887, 886, 884, 847 और 850 की सीमा रेखा से गुजरती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।

ग–घ–ड.–क : रेखा, बिन्दु 'ग' ग्राम डाड़ी के प्लॉट संख्याक 850, 847, 844, 819, 817, 816 और 814 के सीमा रेखा से गुजरती है और आरंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015 / 9 / 2015–पीआरआईडब्ल्यू–I]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2016

S.O. 2274(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 2340(E), dated the 24th August, 2015 issued under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th August, 2015 the Central Government gave notice of its intention to acquire the all rights in and over the land measuring 3.87 hectares (approximately) or 9.58 acres (approximately) in the locality specified in the Schedule appended to that notification;

And whereas, the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government, after considering the report aforesaid and after consulting the Government of Jharkhand, is satisfied that the all rights in and over the land measuring 3.87 hectares (approximately) or 9.58 acres (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that all rights in and over the land measuring 3.87 hectares (approximately) or 9.58 acres (approximately) described in the Schedule annexed hereto are hereby acquired.

The plan bearing number REV/14/2015, dated the 21st December, 2015, of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, District Hazaribagh, Jharkhand or at the Office of Coal Controller, 1, Council House street, Kolkata -700001 or in the Office of the of General Manager Argada, District Ramgarh, Jharkhand or General Manager (Land and Revenue), Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, Jharkhand or Chief General (Exploration Division), Central Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.

SCHEDULE

Gidi-C Opencast Project

District Hazaribagh (Jharkhand)

(Plan bearing number Rev/14/2015, dated the 21st December, 2015)

All Rights:

Sl. No.	Village	Thana	Thana number	District	Area in acres	Area in hectares	Remarks
1.	Dari	Mandu	43	Hazaribagh	9.58	3.87	Part
Total : 9.58 acres (approximately) or 3.87 hectares (approximately)							

Plot numbers acquired in village Dari : 815, 816, 817, 819, 886, 887, 885, 844, 845, 846, 847, 818, 850 and 814(P).

Boundary description:

A-B-C Line starts from point 'A' and passes through boundary line of plot numbers 814, 816, 817, 819, 887, 886, 884, 847 and 850 in village Dari and meets at point 'C'.

C-D-E-A Line passes through point 'C' boundary line of plot numbers 850, 847, 844, 819, 817, 816 and 814 in village Dari and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/9/2015-PRIW-I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.